749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 749–ए बैठक दिनांक 09/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No P-2/555/24 Shri JITENDRA CHANDEL, Junior Manager General, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Ltd. Paryawas Bhawan, Block "A", II nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Sand-2 Mine in an area of 5.00 ha. (2700 cum per annum) (Khasra No. 89) Village- Sindrai Guraiyathar, Tehsil - Parasia, District- Chhindwara, (M.P.) [MIN/ 435278/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो कन्हान नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि **Shri JITENDRA CHANDEL**एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विकास त्रिपाठी, ऑनलाईन, **M/s. Parivesh Environmental Engineering Services, Lucknow** उपस्थित हुये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2,700 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 2.47 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.21 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5,800 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Sindrai Guraiyathar.	5,800

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 27000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं्ण	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॅा	मात्रा (संख्या में)
1	Distribution of plants to villagers, School, Anganvadi and Panchayat	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ॆ;ळद्ध के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को

प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No P2/616/24 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधकजिला (कार्यालय, पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Sande Mine in an area of 4.75 ha. (41310 cum per annum) (Khasra No. 1) Village- AMARCHHI, Tehsil- AJAYGARH, District- PANNA, Madhya Pradesh. [MIN/435490/2023]

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि **Shri Dammu Raikwar, OIC-MPSMCL**एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डा, उपस्थित हुये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि दक्षिण दिशा में एक पक्का रोड 925 मी. की दूरी पर स्थित है। उनके द्वारा 01 किमी तक का क्षेत्र गैर खनन कार्य प्रस्तावित किया है पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अतः सेटबेक देने खनन कार्य प्रस्तावित किया है जिससे वाछिंत रेत की मात्रा उपलब्ध होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–41310 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 5.09 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 1.65 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और

यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 5,800 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
Books provided to Students Library of Govt Middle School, Sindrai Guraiyathar.	5,800

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 6,000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्नानुसार लगभग 6,000 पौधों का 01 वर्ष में किया जायेगा			
प्रथम वर्ष			
क्रमांक	**प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियाँ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलबध्ता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज अर्जुन, एवं जामुन, बांस, बेर, आम,शहतूत, लसोड़ा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	50
2	ग्राम कैथी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	5950
योग			**6,000**

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ¹ैभ्ळद्ध के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास

पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. <u>Case No P2/708/24 Shri DAMMU RAIKWAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक जिला(कार्यालय, पन्ना, Paryavas Bhawan, Block-A 2nd Floor Arera Hills, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 3.40 ha. (28,215 cum per annum) (Khasra No. 501) Village- HARNMPUR, Tehsil- AJAYGARH, District- Panna (M.P.) [MIN/435481/2023] .</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो केन नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि **<u>Shri Dammu Raikwar, OIC-MPSMCL</u>**एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डा, ऑनलाईन, M/s. Oceao-Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.उपस्थित हुये ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र के बीच में एक पक्का रोड ब्रिज है,** जो मेजर ब्रिज है, एवं एक अन्य रपटा जैसी अस्थायी प्रकृति की संरचना लगभग 454 मी. पर **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम** विषय **विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

4. **Case No 11235/2024 Shri Dammu Raikwar, Jr. Manager, OIC, MPSMCL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011. Prior Environment Clearance for Kethi River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (27000 cum per year) (Khasra No. 02), Village-Kaithi, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP) [429713]**

सिया की 843 वीं बैठक दिनांक 05/04/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 09/05/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 728 वीं बैठक में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था,

परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey,Online Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डा, ऑनलाईन, **M/s. Oceao-Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.**उपस्थित हुये

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज फरवरी, 2024 का है अतः पूरी संभावना है कि 15 जून के पहले जल भराव क्षेत्र कम होगा अतः समस्त परिस्थियों को ध्यान में रखते हुये समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 728 वीं बैठक मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

5. **Case No 11230/2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011Prior Environment Clearance for Ghaghrola (Patna) River Sand Quarry in an area of 3.946 ha. (63924 cum per year) (Khasra No. 294/1), Village-Ghagrola, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP) [430482].**

सिया की 842 वीं बैठक दिनांक 04/04/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशांक्ष व देशांस के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 600 मीटर की दूरी पर एक पक्का मेजर रोड ब्रिज परिलक्षित है अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी SSMG 2016 तथा

Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 में दिये गये प्रावधान "sand and gravel shall not extracted upto a distance of 01 KM from major highways on both sides or ……down-stream side अनुसार पक्के मेजर रोड में से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 09/05/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 727 वीं बैठक दिनांक 04/03/24 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था,
परियोजना प्रस्तावक श्री **शशि भूषण सिंह** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय लोक निमार्ण सेतु विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 73 दिनांक 01/03/24 प्रस्तुत किया गया पत्र में उल्लेख है कि के अनुसार निर्मित पुल के दोनो और अप स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100–100 मी. दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र से अप स्ट्रीम में 600 मी. पर रोड ब्रिज है जिससे वाछिंत रेत की मात्रा उपलब्ध होती है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 708वीं बैठक दिनांक 03/01/2024 मे **पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।**

6. <u>Case No 10649/2023 Shri Rajesh Chandra, Junior Manager, R/o M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Rampura Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 406), Village-Rampura, Tehsil-Kukshi, District-Dhar (MP) [431012].</u>

सिया की 843 वीं बैठक दिनांक 05/04/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशाक्ष व देशांस के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 100 मीटर लम्बा पर एक रोड ब्रिज है जो मेजर रोड ब्रिज है अतः भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी SSMG 2016 तथा Enforcement

and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 में दिये गये प्रावधान "sand and gravel shall not extracted upto a distance of 01 KM from major highways on both sides or ……down-stream side अनुसार पक्के मेजर रोड में से निर्धारित दूरी छोडने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है, अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 09/05/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 728 वीं बैठक दिनांक 05/03/24 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश चंद्रा ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डा (ऑनलाईन), उपस्थित हुये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय महाप्रबंधक म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण, परियेजना क्रियान्वयन इकाई, अलीराजपुर का 1644 दिनांक 27/01/2024 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि पुल के दोनों ओर डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 200–200 मी. की दूरी तक की दूरी तक छोडने पर रेत खनन की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

प्रकरण का पुनः परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय किये गये पत्र को ध्यान रखते हुये अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 728 वीं बैठक दिनांक 05/03/24 मे **पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।**

7. <u>Case No 10763/2023 Shri Gayaprasad Anjne, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Mudhena Sand Quarry in an area of 2.845 ha. (52210 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Mudehna, Tehsil-Manpur, District-Umaria (MP) [432191]</u>

सिया की 836 वीं बैठक दिनांक 01/03/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया हैः–

परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश चंद्रा ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डा, उपस्थित हुये ।

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा प्रस्तुत कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया का पत्र क्र. 2392 दिनांक 20/0922023 अनुसार आवेदित क्षेत्र (उत्खनि पट्टा) बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की कोर सीमा 1.41 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। चूँकि बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व की अधिसूचना दिनांक 20/12/2016 अनुसार बाधवगढ़, टाइगर रिजर्व का ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) कोर क्षेत्र सीमा से 2.0 कि.मी. तक है। अतः बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव एरिया (ESZ) से खदान क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में स्पष्ट जानकारी कार्यालय, क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया से प्राप्त की जाये । प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें ।

समिति ने प्रकरण का परीक्षण करते हुये परियोजना प्रस्तावत को निर्देश दिये कि वे क्षेत्र संचालक, बाधवगढ़, टाईगर रिजर्व, उमरिया, से टाइगर रिजर्व क्षेत्र के ईको सेंसिटिव जोन (ESZ) से खदान की वास्तविक दूरी के संबंध में जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

8. <u>Case No 11233/2024 Shri Dammu Raikwar, Jr. Manager, OIC, MPSMCL, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Simra Bahadur River Sand Quarry in an area of 4.75 ha. (66,000 cum per year) (Khasra No. 127), Village-Simra Bahadur, Tehsil-Pawai, District-Panna (MP) [435498].</u>

सिया की 843 वीं बैठक दिनांक 09/02/2024 को प्रकरण को सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है, संबंधित प्रकरण के कार्यवाही विवरण में निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करने हेतु अग्रेषित किया गया है:–

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अशांक्ष व देशांस के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग पानी में परिलक्षित हो रहा है जिससे रेत खनन हेतु न्यूनतम एरिया उपलब्ध होता है, जलमग्न एरिया में 25,000 घन मी./वर्ष उत्खनन किया जाना संभव होगा कि नही के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 09/05/24 को रखा गया । समिति ने पाया कि उक्त प्रकरण को सेक की 728 वीं बैठक दिनांक 05/03/24 में उक्त प्रकरण को अनुशंसित किया गया था,

परियोजना प्रस्तावक Shri Ramakant Pandey,Online Authorized Signatory, M/s MP State Mining Corporation Limited, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि पुल से लीज की दूरी लगभग 690 मी. है **एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री के लोक निमार्ण सेतु विभाग का पत्र क्रमांक 73 दिनांक 01/03/2024 पत्र में पुल के संबंध में उल्लेख किया गया है पुल के दोनों और डाउन स्ट्रीम एवं अप स्ट्रीम में 100–100 मी. की दूरी पर कोई खनन कार्य न किया जायें।**

अतः समिति कार्यपालन यंत्री के लोक निमार्ण सेतु विभाग द्वारा दिये गये अभिमत पर सहमति व्यक्त की जाती है अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व सेक की 728 वीं बैठक दिनांक 05/03/24 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

9. <u>Case No. 10929/2023 Shri GOPAL SINGH, Authorized Person, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 18.00 ha. (3,24,000 cubic meter/year) (Khasra No. 124,125), Village – Gwadikala-2, Tehsil - Itarsi, District Narmadapuram (M.P.).EIA</u>

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालजी सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती सारसवत मेसर्स जेनित एन्वायरमेन्ट कन्सल्टेन्सी, नोयडा उत्तरप्रदेश ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	124,125 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	18.00 hectare.
स्थल	Village- Gwadikala, Tehsil- Itarsi,, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–3,24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–3,24,000 घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 22/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में ग्वाडीकला–1 एवं कीरपुरा खदान है। अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 22/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 22/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरोड़ा जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 15/04/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में जल भराव नहीं है। तथा परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि परिवहन के दौरान पृथक मार्ग का उपयोग किया जायेगा ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–13 के सरल क्रमांक–96 पर दर्ज है ।
जनसुनवाई की स्थिति	दिनांक 12/03/24 को जनसुनवाई सम्पन्न की गई 1. सभी लोगों ने स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के साथ खदान स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की गयी। 2. माईनिंग गतिविधि तथा रेत परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली धुल को नियंत्रित रखे जाने के लिए जल छिड़काव की उचित व्यवस्था की जावें । 3. रेत परिवहन में उपयोग में आने वाले वाहनों को निर्धारित गति सीमा के भीतर चलाया जावें । जिससे होने वाली सम्भावित सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। 4. रेत का उत्खनन निर्धारित उत्खनन क्षेत्र से किया जाए एवं नदी के जल के भीतर रेत का उत्खनन नहीं किया जाए। 5. कुछ लोगों द्वारा ग्राम ग्वाड़ीकला एवं ग्राम बिछुआ के लोगों को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान का पर्यावरण स्वीकृति नहीं हुआ था।

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–3,24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 31.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.80 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई PrawnBreeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– **(भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।**)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम ग्वाड़ीकला के आंगनवाड़ी केन्द्र में पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय निर्माण करवाया जायेगा।	1,00,000
ग्राम ग्वाड़ीकला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में अद्योसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।	1,00,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 27000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कंण	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	9000

2	**ग्राम** ग्वाड़ीकला **के ग्रामवासियों में वितरण हेतु**	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	18000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप ¼ के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10.Case No. 10924/2023 Case No 10924/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Dumar Sand Mine in an area of 30.00 ha. (4,50,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Dumar, Tehsil-Bankheri, District-Hoshangabad (MP) [447228].

प्रस्तावित रेत खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालजी सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती रश्मि सारस्वत मेसर्स जेनिथ एन्वायरमेन्ट कन्सल्टेन्सी, नोयडा उत्तरप्रदेश ऑनलाइन उपस्थिति ।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL JII SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	30.00 hectare.
स्थल	Village- Dumar, Tehsil- Bankhedi, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ—19—2—2019—बारह—1 पार्ट—6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10	

	वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–4,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–4,50,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 923 दिनांक 03/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान राजपिपरिया 1 एव राजपिपरिया 2 खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 809 दिनांक 03/02/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 809 दिनांक 03/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डूमर ठहराव प्रस्ताव जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 25/01/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	नदी में से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब नदी सूखी रहती है तब स्थानीय लोगों द्वारा अस्थायीं रास्ते के रूप में इसका उपयोग के लिये किया जाता है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–14 के सरल क्रमांक–115 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–4,50,000 घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–4,50,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.79 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 04.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम **डूमर** के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	2,00,000
ग्राम **डूमर** के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	2,00,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 21,600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	7,200
2	ग्राम **डूमर** के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	14,000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No. 10925/2023 Shri GOPAL SINGH, Authorized Person, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (72,000 cubic meter/year) (Khasra No. 108), Village – Gwadikala, Tehsil - Itarsi, District Narmadapuram (M.P.).EIA

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालजी सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती रश्मि सारस्वत मेसर्स जेनिथ एन्वायरमेन्ट कन्सल्टेन्सी, नोयडा उत्तरप्रदेश ऑनलाइन उपस्थिति ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL JII SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	108 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

स्थल	Village- Gwadikala, Tehsil- Itarsi, District- Narmadapuram (M.P.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–72000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–72000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1397 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरोड़ा ठहराव प्रस्ताव जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 15/04/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	नदी में से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब नदी सूखी रहती है तब स्थानीय लोगों द्वारा अस्थायीं रास्ते के रूप में इसका उपयोग के लिये किया जाता है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–13 के सरल क्रमांक–94 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–72,000 घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम्

उत्पादन क्षमता रेत–72,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 31.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 05.80 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम ग्वाडीकला के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
ग्राम ग्वाडीकला के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 27,000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कंण	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	9,000

2	ग्राम मुर्गिधाना के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	18,000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No. 10926/2023 Shri GOPAL SINGH, Authorized Person, ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram, MP. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 10.00 ha. (120000 cubic meter/year) (Khasra No. 01), SANGAKHEDAKHURD, TEHSIL - MAKHANNAGAR & DISTRICT - NARMADAPURAM. EIA

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालजी सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती रश्मि सारस्वत मेसर्स जेनिथ एन्वायरमेन्ट कन्सल्टेन्सी, नोयडा उत्तरप्रदेश ऑनलाइन उपस्थिति ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL JII SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	10.00 hectare.
स्थल	Village- Sangakhedakhurd, Tehsil- Makhannagar, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10	

	वर्षो के आवंटित ।
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–1,20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–1,20,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 809 दिनांक 03/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 809 दिनांक 03/02/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 809 दिनांक 03/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरोड़ा ठहराव प्रस्ताव जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 15/04/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	नदी में से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब नदी सूखी रहती है तब स्थानीय लोगों द्वारा अस्थायीं रास्ते के रूप में इसका उपयोग के लिये किया जाता है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–9 के सरल क्रमांक–9 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–1,20,000 घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–1,20,000घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.79 लाख प्रति वर्ष ।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम संगखेदखुर्द के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
ग्राम संगखेदखुर्द के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 16,000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कंण्	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	6,000
2	ग्राम संगखेदखुर्द के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	10,000
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।		

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे। टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13 Case No. 10928/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bedar Sand Mine in an area of 16.976 ha. (285197 cum per year) (Khasra No. 58), Village-Bedar, Tehsil-Bankhedi, District-Hoshangabad (MP) [447187] EIA.

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालजी सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती रश्मि सारस्वत मेसर्स जेनिथ एन्वायरमेन्ट कन्सल्टेन्सी, नोयडा उत्तरप्रदेश ऑनलाइन उपस्थिति ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL JII SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	58 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	16.976 hectare.
स्थल	Village- Bedar, Tehsil- Bankhedi, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–2,85,197 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–2,85,197 घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1407 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान राजपिपरिया 1 तथा इमलिया संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1407 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1407 दिनांक 22/11/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेदर ठहराव प्रस्ताव जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 25/01/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	नदी में से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब नदी सूखी रहती है तब स्थानीय लोगों द्वारा अस्थायीं रास्ते के रूप में इसका उपयोग के लिये किया जाता है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–10 के सरल क्रमांक–20 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–2,85,197घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 170 दिनांक 09/05/2024 के माध्यम से खदान क्षेत्र के अतिरिक्त कार्डिनेट प्रस्तुत किये गये। प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि खदान क्षेत्र के 01 किमी. तक कोई रोड ब्रिज/संरचना स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–2,85,197घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.88 लाख प्रति वर्ष ।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम **बेदर** के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
ग्राम **बेदर** के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 27,000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कंण्	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	9,000
2	ग्राम बेदर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	18,000
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।		

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे। टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

14. Case No. 10930/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Revavankhedi Sand Quarry Deposit in an area of 10.00 ha. (1,80,000 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Revavankhedi, Tehsil-Sohagpur, District-Hoshangabad (MP) [447186]

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालजी सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती रश्मि सारस्वत मेसर्स जेनिथ एन्वायरमेन्ट कन्सल्टेन्सी, नोयडा उत्तरप्रदेश ऑनलाइन उपस्थिति ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL JII SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	10.00 hectare.
स्थल	Village- Revavankhedi, Tehsil- Sohagpur, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–1,80,000 घनमीटर/वर्ष है।	

500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत खदान संचालित/स्वीकृत है, नहीं अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 29/03/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रेवावंखेडी ठहराव प्रस्ताव जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 12/05/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	नदी में से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब नदी सूखी रहती है तब स्थानीय लोगों द्वारा अस्थायीं रास्ते के रूप में इसका उपयोग के लिये किया जाता है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–14 के सरल क्रमांक–105 पर दर्ज है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–1,80,000 घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–1,80,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 22.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.88 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।

4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम **बेदर** के रेवावंखेडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
ग्राम रेवावंखेडी के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 27,000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कंण	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	9,000
2	ग्राम रेवावंखेडी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	18,000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No. 10931/2024 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Imaliya Sand Mine in an area of 20.00 ha. (3,00000 cum per year) (Khasra No. 269), Village-Imaliya, Tehsil-Bankhedi, District-Hoshangabad (MP) [447245]

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो तवा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गोपालजी सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीमती रश्मि सारस्वत मेसर्स जेनिथ एन्वायरमेन्ट कन्सल्टेन्सी, नोयडा उत्तरप्रदेश ऑनलाइन उपस्थिति ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri GOPAL JII SINGH, Junior Manager (Field), ITI road, behind Andhra Bank, near Hariyali, Narmadapuram (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	269 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	20.00 hectare.
स्थल	Village- Imaliya, Tehsil- Bankhedi, District- Narmadapuram (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–3,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–3,00,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 925 दिनांक 03/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में रेत बेदर खदान संचालित/स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 925 दिनांक 03/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण–पत्र	

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 मई 2024

अनापत्ति	क्रमांक 925 दिनांक 03/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत इमलिया ठहराव प्रस्ताव जिला होशंगाबाद के ठहराव प्रस्ताव की दिनांक 25/01/2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	नदी में से होकर जाने वाले कच्चे रास्ते के संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जब नदी सूखी रहती है तब स्थानीय लोगों द्वारा अस्थायीं रास्ते के रूप में इसका उपयोग के लिये किया जाता है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–14 के सरल क्रमांक–116 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति उत्पादन क्षमता रेत–3,00,000 घनमीटर/वर्ष जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र के आस पास कोई ब्रिज/संरचना नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–3,00,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.03 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.79 लाख प्रति वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।

5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :– (भू–प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगें।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
ग्राम **इमलिया** के आंगनवाडी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	1,00,000
ग्राम **इमलिया** के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	50,000
सतपुड़ा टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 21,600 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कंण	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	7,200
2	ग्राम **डूमर** के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	14,400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No 10943/2023 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Alipura-1 Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (29,250 cum per year) (Khasra No. 2113), Village-Alipura, Tehsil-Nowgong, District-Chhatarpur (MP) [448347].

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जो धसान नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक BALVEER TOMAR online, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार गौस मोहम्मद, ऑनलाईन, मेसर्स AmplEnviron Pvt Ltd, Hyderabad उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज जनवरी, 2022 के अनुसार खदान का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में लगभग 5.5 कि.मी. पश्चात् एक जल रोकने की संरचना के कारण जल भराव की स्थिति दिख रही है किन्तु मार्च माह के पश्चात् आस–पास के इलाके में फसलों की सिंचाई में पानी दिये जाने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में से पानी उतर जाता है तथा मार्च से जून तक इस खदान से रेत निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में खनिज शाखा, छतरपुर से भी जानकारी प्राप्त की गई है जिस बावत् उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) छतरपुर ने भी अपने पत्र क्रमांक 819 दिनांक 09/05/2024 के माध्यम से सूचित किया है कि दिसम्बर से मार्च के मध्य सिंचाई के कारण पानी कम हो जाता है तथा खदान में खनन हेतु वांछित मात्रा मे रेत उपलब्ध होती है । परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट किया कि जनवरी, 2021 की गूगल ईमेज में रेत की उपलब्धता दिख रही है।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान **उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला छतरपुर का पत्र क्रमांक 820 दिनांक 09/05/2024 प्रस्तुत कर विगत चार वर्षों में उत्खनित खनिज रेत की मात्रा प्रस्तुत किया। पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त जानकारी डी.एस.आर. में अद्यतन कर सिया सेक में प्रस्तुत कर दी जावेगी।**

क्रमांक	खदान का नाम	विगत चार वर्षों में उत्खनित खनिज रेत की मात्रा की जानकारी			
		2020–21	2021–22	2022–23	2023–2024
1	अलिपुरा–1	00	00	34945.79	34998.98

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–29,250 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तूंद ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 0.77. लाख एवं रिकरिंग राशि रू.0.55.लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास हेतु शासकीय विद्यालय के शिक्षक पालक संघ को प्रदायित राशि ।	50,000
स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति को प्रदायित राशि।	100000
पन्ना टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	2000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2800

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No 10944/2023 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Barua Sand Quarry on Ken River in an area of 3.990 ha. (8400 cum per year) (Khasra No. 609), Village-Baruwa, Tehsil-Gaurihar, District-Chhatarpur (MP) [449445].

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **BALVEER TOMAR online,** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार गौस मोहम्मद, ऑनलाईन, मेसर्स AmplEnviron Pvt Ltd, Hyderabad उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–8400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

1. खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन कियान्वयन अवलोकित नहीं हुआ। मध्य प्रदेश खनिज निगम पूर्व संचालक द्वारा जमा सुरक्षा निधि अधिहृत कर शर्तो का पालन कियान्वयन सुनिश्चित कर पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो के प्रथम पालन प्रतिवेदन के साथ मय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तूंद ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 0.50. लाख एवं रिक्करिंग राशि रू.0.25.लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–
7.

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास हेतु शासकीय विद्यालय के शिक्षक पालक संघ को प्रदायित राशि ।	25,000
स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति को प्रदायित राशि।	25,000
पन्ना टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

8. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	2000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार	2800

		प्रजातिया	

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

18. Case No. 10945/2023 Shri BALVEER TOMAR, Junior Engineer, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (30,000 cubic meter/year) (Khasra No. 574), Village- TILA, Tehsil Nowgoan, District Chhatarpur (M.P.). EIA

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जो धसान नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक BALVEER TOMAR online, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार गौस मोहम्मद मेसर्स AmplEnviron Pvt Ltd, Hyderabad उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri BALVEER TOMAR, Junior Engineer, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	574 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village TILA Tehsil Nowgong District Chhatarpur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के लिये आवंटित ।	

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।
टॉर	सिया द्वारा ऑनलाईन स्टेण्डर्ड टॉर दिनांक 12/12/23 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–30,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 671 दिनांक 31/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 14.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 671 दिनांक 31/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 671 दिनांक 31/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टीला जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक 15/08/16 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज जनवरी, 2022 के अनुसार खदान का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में लगभग 5.5 कि.मी. पश्चात् एक जल रोकने की संरचना के कारण जल भराव की स्थिति दिख रही है किन्तु मार्च माह के पश्चात् आस–पास के इलाके में फसलों की सिंचाई में पानी दिये जाने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में से पानी उतर जाता है तथा मार्च से जून तक इस खदान से रेत निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में खनिज शाखा, छतरपुर से भी जानकारी प्राप्त की गई है जिस बावत् उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) छतरपुर ने भी अपने पत्र क्रमांक 817 दिनांक 09/05/2024 के माध्यम से सूचित किया है कि दिसम्बर से मार्च के मध्य सिंचाई के कारण पानी कम हो जाता है तथा खदान में खनन हेतु वांछित मात्रा मे रेत उपलब्ध होती है । परियोजना

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट किया कि जनवरी, 2021 की गूगल ईमेज में रेत की उपलब्धता दिख रही है।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला छतरपुर का पत्र क्रमांक 820 दिनांक 09/05/2024 प्रस्तुत कर विगत चार वर्षों में उत्खनित खनिज रेत की मात्रा प्रस्तुत किया। पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त जानकारी डी.एस.आर. में अद्यतन कर सिया सेक में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

क्रमांक	खदान का नाम	विगत चार वर्षों में उत्खनित खनिज रेत की मात्रा की जानकारी			
		2020–21	2021–22	2022–23	2023–2024
1	टीला–1	13566.08	00	34753.79	246.06

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 0.77. लाख एवं रिकरिंग राशि रू.0.55.लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास हेतु शासकीय विद्यालय के शिक्षक पालक संघ को प्रदायित राशि ।	50,000
स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति को प्रदायित राशि ।	1.0
पन्ना टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	2000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2800

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. **Case No 10946/2023 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail**

Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011Prior Environment Clearance for Kararaganj Sand Quarry on Dhasan River in an area of 7.00 ha. (25,000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kararaganj, Tehsil-Nowgong, District-Chhatarpur (MP) [449446]

प्रस्तावित रेत खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **BALVEER TOMAR online,** एवं उनके र्यावरणीय सलाहकार गौस मोहम्मद मेसर्स AmplEnviron Pvt Ltd, Hyderabad उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल ईमेज जनवरी, 2022 के अनुसार खदान का अधिकांश भाग पानी में डूबा हुआ है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम में लगभग 5.5 कि.मी. पश्चात् एक जल रोकने की संरचना के कारण जल भराव की स्थिति दिख रही है किन्तु मार्च माह के पश्चात् आस–पास के इलाके में फसलों की सिंचाई में पानी दिये जाने के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में से पानी उतर जाता है तथा मार्च से जून तक इस खदान से रेत निकाली जा सकती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि उनके द्वारा इस संबंध में खनिज शाखा, छतरपुर से भी जानकारी प्राप्त की गई है जिस बावत् उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) छतरपुर ने भी अपने पत्र क्रमांक 818 दिनांक 09/05/2024 के माध्यम से सूचित किया है कि दिसम्बर से मार्च के मध्य सिंचाई के कारण पानी कम हो जाता है तथा खदान में खनन हेतु वांछित मात्रा मे रेत उपलब्ध होती है । परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट किया कि जनवरी, 2021 की गूगल ईमेज में रेत की उपलब्धता दिख रही है।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान उप संचालक, कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा जिला छतरपुर का पत्र क्रमांक 820 दिनांक 09/05/2024 प्रस्तुत कर विगत चार वर्षों में उत्खनित खनिज रेत की मात्रा प्रस्तुत किया। पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि उपरोक्त जानकारी डी.एस.आर. में अद्यतन कर सिया सेक में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

क्रमांक	खदान का नाम	विगत चार वर्षों में उत्खनित खनिज रेत की मात्रा की जानकारी			
		2020–21	2021–22	2022–23	2023–2024
1	करारागंज	00	00	00	3029.85

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम्

उत्पादन क्षमता रेत–25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तूंद ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 1.0. लाख एवं रिक्रिंग राशि रू.0.50.लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 2.5 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि(रु. में)**
अधोसंरचना विकास हेतु शासकीय विद्यालय के शिक्षक पालक संघ को प्रदायित राशि ।	1.0
स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति को प्रदायित राशि ।	1.0
पन्ना टाईगर रिजर्व की ईको विकास समिति को विकास कार्य हेतु	50,000

7. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 8400 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	**वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	2000

2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	6400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

20 Case No 11288 /2024 Shri Omkar Dubey, Authorized Signatory, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tumda River Sand Quarry in an area of 10.00 ha. (1,62,000 cum per year) (Khasra No. 670), Village-Tamra, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP) [444970]

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशि भूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भाि ाभूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 670 (ाासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.00 हे.
स्थल	ग्राम – तूमडा, तहसील – गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो	

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 मई 2024

	के लिऐ आवंटित ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।
टॉर	स्टैन्डर्ड टॉर मंजूर किया गया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,62,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 1,62,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 996 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नही है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 996 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं उत्खनन पट्टा वन सीमा से 250 मीटर की परिधि से बाहर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 996 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे ान, दूरद र्ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तूमडा जिला नरसिंहपुर द्वारा प्राप्त अनापत्ती दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–20 के सरल क्रमांक–04 एवं पेज नं.–49 के सरल क्रमांक–04 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	उपरोक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 01/04/2024 को करायी गयी ।

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्टशर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 1,62,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17,76,500 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 5,63,000 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1,60,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम तुमड़ा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 20 टेबल एवं 20 कुर्सी के लिए 1,60,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति तुमड़ा के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,60,000
कुल	**1,60,000**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8400 वृक्षों का वितरण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव	3600

		स्थानीय घास 4–5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
3	तूमड़ा ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	8400
कुल			**12000**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

21. Case No 11284 /2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Dighori River Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (64800 cum per year) (Khasra No. 195), Village-Dighori, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP) [444752]

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री भाि ाभूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री भाि ाभूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदे ा राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 मई 2024

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 195 (शासकीय भूमि, नदी)	क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम – दिघौरी, तहसील – गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के लिऐ आवंटित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।	
टॉर	स्टैन्डर्ड टॉर मंजूर किया गया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 64,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 64,800 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1006 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 एक रेत खदान संचालित/स्वीकृत है जिसका क्षेत्रफल 4.00 हे. है इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 8.00 हे. होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1006 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं उत्खनन पट्टा वन सीमा से 250 मीटर की परिधि से बाहर है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1006 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे ान, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय जनपद पंचायत बाबई चीचली जिला नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 2345, दिनांक 12/10/2022 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकां I भाग सूखा हुआ है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–21 के सरल क्रमांक–17 एवं पेज नं.–50 के सरल क्रमांक–17 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	उपरोक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024 को करायी गयी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्टशर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु ंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 64,800 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10,37,000 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 3,94,928 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम दिघौरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,00,000 रुपये की राशि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिघौरी के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	**1,00,000**

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2170 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2630 वृक्षों का वितरण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4–5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	2170
2	दिघौरी ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	2630
कुल			**4800**

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 09 मई 2024

22.Case No 11286 /2024 11286/2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)- Prior Environment Clearance for Umaria River Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (54000 cum per year) (Khasra No. 45), Village-Umariya, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP) [444984]

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशिभूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशिभूशण सिंह, कनिष्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि., पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 45 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 4.00 हे.
स्थल	ग्राम – उमरिया, तहसील – गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदे ा शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के लिऐ आवंटित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।	
टॉर	स्टैन्डर्ड टॉर मंजूर किया गया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 54,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 एक रेत खदान संचालित/स्वीकृत है जिसका क्षेत्रफल 4.00 हे. है इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 8.00 हे. होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने ानल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं उत्खनन पट्टा वन सीमा से 250 मीटर की परिधि से बाहर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1015 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ ाम ाान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ाील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे ान, दूरद र्ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	कार्यालय ग्राम पंचायत चोर बरहटा जिला नरसिंहपुर के पत्र क्रमांक 18, दिनांक 05/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है। खदान क्षेत्र से 220 मीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा मे एक ब्रिज परिलक्षित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–21 के सरल क्रमांक–20 एवं पेज नं.–50 के सरल क्रमांक–20 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	उपरोक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024 को करायी गयी ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में **लीज क्षेत्र के बीच में एक पक्का रोड ब्रिज है,** जो मेजर ब्रिज है, एवं एक अन्य रपटा जैसी अस्थायी प्रकृति की संरचना लगभग 454 मी. पर **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01 कि.मी. का निर्धारित

सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा **इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया । अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।**

23. Case No 11266 /2024 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Maheswar River Sand Quarry in an area of 10.00 ha. (162000 cum per year) (Khasra No. 124), Village-Mahesur, Tehsil-Gadarwara, District-Narsimhapur (MP) [444940]

प्रस्तावित खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 09/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधी श्री शशिभूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/मेसर्स कॉग्नीजेंस रिर्सच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज**	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शशिभूशण सिंह कनिश्ठ प्रबंधक (फील्ड) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 124 (शासकीय भूमी नदी)	क्षेत्रफल – 10.00 हे.
स्थल	ग्राम – महे वर, तहसील – गाडरवारा, जिला – नरसिंहपुर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के लिऐ आवंटित ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही ।	
टॉर	स्टैन्डर्ड टॉर मंजूर किया गया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,62,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 1,62,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 995 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान	

749–ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 09 मई 2024

	संचालित/स्वीकृत नही है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 995 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं उत्खनन पट्टा वन सीमा से 250 मीटर की परिधि से बाहर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 995 दिनांक 19/06/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत तूमडा जिला नरसिंहपुर द्वारा प्राप्त अनापत्ती दिनांक 15/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नही है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–20 के सरल क्रमांक–03 एवं पेज नं.–49 के सरल क्रमांक–03 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	उपरोक्त खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 01/04/2024 को करायी गयी ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 1,62,000 घनमीटर/वर्ष है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकरी नही दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहॅूचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16,98,500 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7,19,160 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1,50,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रू.में)
ग्राम महेश्वर के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 150000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति महेश्वर के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,50,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का प्रतिस्थापन तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 8400 वृक्षों का वितरण :–

कंण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	1–3 पंक्ति– खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4–5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी	3600

		अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
3	महेश्वर ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	8400
कुल			**12000**
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 05 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का प्रतिस्थापन खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तो के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय के अन्य बिन्दु :

On 9th May, 2024 additional agenda was taken to suggest SEIAA for consituting a technical expert committee in different river micro watershed area on the basis of catchment formation, geology, landscape, sand depth, river flow, sand deposition rate etc. for keeping safe distance from Bridges, Railway line, Major road, quantity of sand mining etc. atleast for Narmada River ,Tapti River, Dhasan River for safety issues, as sand guidelines 2016 & 2020 gives different options to expert committee for deciding sand mining with respect to above mentioned points. Additionally, committee takes particular stands on recommendation of concerned agency but cases are reffered back again and again. So the guidelines of the proposed expert committee will be helpful for recommendation for future course of action.

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.

21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    d. Minable Potential of sand mine.
    e. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    f. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and

shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिथ्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**